II/निग0/सीधी/2018/01228

45

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

(सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा)

Rs 30/-

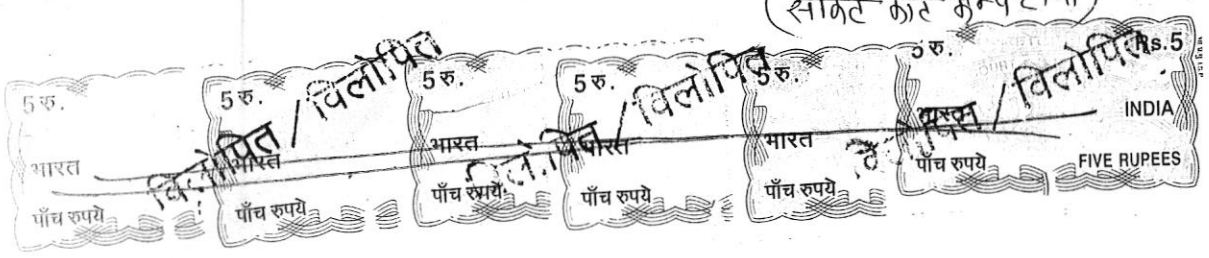

5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — 5 रु. भारत पाँच रुपये — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

निगार आलम पिता फकरूद्दीन निवासी ग्राम बघोर, तहसील सिंहावल जिला सीधी (म.प्र.)

............अपीलार्थी

बनाम

रामवती कोल पिता भारत कोल निवासी ग्राम बघोर, तहसील सिंहावल जिला सीधी (म.प्र.)

अधि0 कु0 शुचीमिश्रा द्वारापेश 16-2-18

............उत्तरदाता

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अतिरिक्त आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र. 290/अपील/2017–18 दिनांक 01.02.2018

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959ई.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:–

01– यह कि निर्णय व आदेश विधि प्रक्रिया एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02– यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ने इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर गौर नहीं किया, कि प्रस्नाधीन भूमिस्वामी गुजरूप तेली तनय श्री रजई तेली के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2001 से क्रय कर आवेदक के द्वारा कब्जा दखल प्राप्त कर नामांतरण कराया गया है, तथा विधिवत उसका छोटा माकान था, जिसे अनावेदक अतिक्रमण करनें वाला था कि मानकर पारित आदेश विधि के विरूद्ध होने से निरस्त करनें योग्य है।

Suchimishra 15/2/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीधी/2018/भूरा/01228

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23 –5–18	आवेदक के अधिवक्ता कुमारी सुची मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 290/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 01.02.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक का कच्चा मकान था और जिसे नवीन कच्चा मकान बनाया गया था और हल्का पटवारी के प्रतिवेदन से होती है और वहां पर कोई शेष खाली जगह भी नहीं है जिस पर अतिकमण किया जा सके। पुराने कच्चे मकान के स्थान पर नवीन कच्चा मकान बनाया गया है जिस पर संहिता की धारा 250 प्रभावशील नहीं होगी। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **समवर्ती आदेश अपील में हस्तक्षेप योग्य नही। न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण '' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि '' तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं''।** इससे स्पष्ट है कि	

अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 1.2.18 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 290 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 01.02.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य